उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून
उत्तराखण्ड

अपील संख्या : 38682

अपील अंतर्गत धारा 19(3) सू.का अधि. अधिनियम, 2005

समक्ष : श्री योगेश भटट, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

अपीलकर्ता : श्री विजय सिंह परमार, मकान संख्या 524, सेक्टर 08 ई, बौराडी, नई टिहरी 249001

बनाम

प्रतिवादीः 1. लोक सूचना अधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य (पुनर्वास) मण्डल ऋषिकेश द्वितीय तल , केदार भवन, टी.एच.डी.सी.इ.लि. परिसर केदारपुरम, देहरादून।

प्रतिलिपिः 1. जिलाधिकारी कार्यालय जिला टिहरी।
2. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून।

आदेशः

आज इस अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हैं। लोक सूचना अधिकारी/श्रीमती बीना सेमवाल, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल उपस्थित हैं। विभागीय अपीलीय अधिकारी/श्री आर.के. गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य (पुनर्वास) मण्डल, ऋषिकेश, 26 ई0सी0 रोड, देहरादून उपस्थित हैं।

2. आयोग द्वारा गत दिनांक 09.02.2024 को पारित आदेश का प्रस्तर–7 व 8 निम्नवत हैः–

प्रस्तर–7 वर्णित परिस्थितियों में स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी/प्रधान सहायक, कार्यालय विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, नई टिहरी द्वारा आयोग द्वारा पारित

अंतरिम आदेश को गभीरता पूर्वक न लेने, सूचना अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थी को देर से अपूर्ण एवं अस्पष्ट सूचना प्रेषित कर सूचना का अधिकार अधिनियम की मूल भावना के विपरीत कार्य किया गया है। **सुश्री बीना सेमवाल लोक सूचना अधिकारी/प्रधान सहायक, कार्यालय विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, नई टिहरी को एक अंतिम अवसर देते हुए इस आशय का कारण बताओ नोटिस निर्गत किया जाता है कि सूचना प्रेषण में बाधा बनने एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के विपरीत कार्य करने पर उनके विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित करते हुए धारा 20(2) के अंतर्गत क्यों नहीं संस्तुत की जाए? आगामी आगामी सुनवाई पर वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगी।**

प्रस्तर–8 लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 1 एवं 3 में स्पष्ट एवं पठनीय सूचना सुनवाई की अगली तिथि से पूर्व अपीलार्थी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **विभागीय अपीलीय अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य (पुनर्वास) मण्डल, ऋषिकेश, 26 ई0सी0 रोड, देहरादून एवं सुश्री बीना सेमवाल, लोक सूचना अधिकारी/ प्रधान सहायक, कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आदेशित किया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित अपने–अपने कार्यालय में धारित मूल पत्रावली मय प्रासंगिक अभिलेख एवं आयोग द्वारा गत दिनांक 14.12.2023 को दिए गए कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष अपना स्पष्टीकरण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर, आगामी सुनवाई की तिथि पर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।**

AG

3. गत दिनांक 09.02.2024 को पारित आदेश के प्रस्तर–7 के क्रम में लोक सूचना अधिकारी/श्रीमती बीना सेमवाल, प्रधान सहायक, कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल स्वयं व्यक्तिगत उपस्थित होकर पत्रांक 498 दिनांक 05.03.2024 के माध्यम से अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि:

> **"श्री विजय सिंह परमार बौराडी नई टिहरी को आपके आदेश के क्रम में बिन्दु सं0–01 एवं 03 पर सूचना दिनांक 05.03.2024 को प्रेषित की गयी है तथा अपने स्पष्टीकरण में महोदय अनुरोध करना है कि कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी टिहरी में लिपिक संवर्ग में एक कनिष्ठ सहायक एवं एक मुख्य सहायक दो ही कर्मचारी कार्यरत है तथा जनपद में 08 परियोजनाओं का कार्य गतिमान है। कर्मचारियों की कमी होने तथा कार्य की अधिकता होने के कारण तत्समय में समयन्तर्गत अनुरोधकर्ता को सूचना प्रेषित नहीं की गई है. जिसके लिये प्रार्थीनी क्षमा प्रार्थीनी है।**
>
> **कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अनुरोधकर्ता को प्रभावित काश्तकारों की सूची कम्प्यूटर टाईप प्रेषित की जा चुकी है। यदि अनुरोधकर्ता प्रेषित सूचना से सन्तुष्ट नहीं है तो किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर अभिलेखों के अनुसार सूचना निःशुल्क प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।"**

4. गत दिनांक 09.02.2024 को पारित आदेश के प्रस्तर–8 के क्रम में विभागीय अपीलीय अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य (पुनर्वास) मण्डल, ऋषिकेश, 26 ई0सी0 रोड़ देहरादून द्वारा व्यक्तिगत उपस्थित होकर पत्रांक संख्या 274 दिनांक 02.03.2024 के माध्यम से लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि:

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
AG
सत्यमेव जयते
देहरादून

4.1 मा० आयोग के पारित अंतरिम आदेश दिनांकित 14.12.2023 के प्रस्तर–09 पर कार्यवाही हेतु विभागीय अपीलीय अधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 52/अधी. अभि. (पु.)/ सू0अ0/2024. दिनांक 05.01.2024 से लोक सूचना अधिकारी / प्रधान सहायक, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, नई टिहरी को मा० आयोग की अपेक्षानुसार दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर उनके कार्यालय के पत्रांक 355/8–वि०भू०अ०अ०/टि०ग० दिनांक 01.01.2024 द्वारा पूर्व ही सीधे अपीलकर्ता श्री विजय सिंह परमार को 05 बिन्दुओं की सूचना तत्संबंधी संलग्नकों सहित डाक द्वारा प्रेषित करते हुए प्रतिलिपि / सूचना मा० आयोग के साथ–साथ इस कार्यालय को भी की गयी। उक्त पर की गयी कार्यवाही, गत सुनवाई दिनांक 09.02.2024 में मा० आयोग को अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी थी।

4.2 यह कि मा० आयोग के पारित अंतरिम आदेश दिनांकित 14.12. 2023 के पैरा सं0–11 पर जारी कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में विभागीय अपीलीय अधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता के स्तर पर प्रश्नगत प्रथम अपील के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही एवं विधिवत् निस्तारण किये जाने से सम्बन्धित पूर्ण वस्तु–स्थिति से पत्र संख्या–161/अधी० अभि० (पु०) / सू०अ०/24 दिनाक 06.02.2024 द्वारा मा० आयोग को गत सुनवाई दिनाक 09.02.2024 में विभागीय पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया।

4.3 अपीलकर्ता द्वारा अपने अनुरोध पत्र दिनांकित 09.02.2023 में इंगित 05 बिन्दुओं पर सूचना /अभिलेख, लोक सूचना अधिकारी / विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल कार्यालय में धारित / संकलित होने के कारण वॉछित सूचना उनके कार्यालय द्वारा ही उपलब्ध करायी जानी थी, जिसके सम्बन्ध में विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रथम अपील के निस्तारण हेतु समय–समय पर लोक सूचना अधिकारी को यथानिर्देश दिये जाते रहे।

4.4 अपीलकर्ता के प्रथम अपील पर संतोषजनक समाधान हेतु विभागीय अपीलीय स्तर पर पांच सुनवाई (प्रथम–03.04.2023.

AG

द्वितीय–11.04.2023 तृतीय–02.05.2023 चतुर्थ–16.05.2023 एवं पंचम–30.05.2023) द्वारा नियत करते हुए प्रत्येक तिथि पर अपीलकर्ता के बिन्दुओं के अनुरुप, लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर प्रदत्त सूचना / कार्यवाही का बिन्दुवार विश्लेषण करने के उपरांत ही निस्तारण आदेश पारित किया गया।

4.5 अधोहस्ताक्षरी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् विभागीय अपीलीय अधीकारी के रुप में अपने दायित्व का भली–भाँति निवर्हन करता चला आ रहा है, जिसका अनुपालन करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की गयी है अपितु जिम्मेदारीपूर्वक निवर्हन किया गया है।

5. सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना के संबंध में अपीलार्थी से पृच्छा की गयी तो अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया कि उन्हें सूचना आज की सुनवाई से एक दिन पूर्व प्राप्त हुई है तथा प्राप्त सूचना के कई पृष्ठ प्रमाणित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा विलम्ब से अप्रमाणित सूचना प्राप्त होने पर आपत्ति व्यक्त की गयी।

6. गत दिनांक 09.02.2024 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना अधिकारी/श्रीमती बीना सेमवाल, प्रधान सहायक, अवस्थापना पुनर्वास खण्ड, नई टिहरी द्वारा पत्र संख्या 498 दिनांक 05.03.2024 के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है तथा आयोग के निर्देश के उपरान्त भी अपीलार्थी को प्रमाणित सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

7. **श्रीमती बीना सेमवाल / लोक सूचना अधिकारी, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल को दिनाँक 09.02.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाते हुए अपीलार्थी को सुनवाई से एक दिन पूर्व दिनांक 05.03.2024 को लगभग एक वर्ष विलम्ब से सूचना प्रेषित किये जाने की पुष्टि करते हुए सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति सदमंशा न रखने तथा विलंब से सूचना प्रेषित किये जाने पर अधिनियम की धारा–20(1) के अंतर्गत अधिकतम 25,000/– (पच्चीस हज़ार रूपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है।**

AG

8. **श्रीमती बीना सेमवाल / लोक सूचना अधिकारी, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल को निर्देशित किया जाता है कि वह यह धनराशि सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के नियम 11 (क) व (ङ) के अनुसार आयोग के आदेश प्राप्ति के 03 माह की अवधि समाप्त होने पर तीन समान किश्तों में ई–चालान के माध्यम से राजकोष में जमा कराएंगी। यह भी अवगत कराया जाता है कि यह धनराशि https://ifms.uk.gov.in/e-chalan/elogin.aspx पर Quick Pay के माध्यम से खाता शीर्ष (0070) other Administration services के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष "0070601180100 Under Right to Information Act 2005" Services में भी जमा की जा सकती है।**

उक्त राशि राजकोष में जमा न कराये जाने पर जिलाधिकारी कार्यालय जिला टिहरी उक्त राशि की कटौती श्रीमती बीना सेमवाल / लोक सूचना अधिकारी, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल से कटौती कर राजकोष में जमा करायेंगे तथा कृत कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराऐंगे।

9. विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण सम्यक विचारोपरान्त इस अपेक्षा के साथ स्वीकार किया जाता है कि भविष्य में प्रथम अपील के निस्तारण के समय जब तक यह पुष्टि न कर ली जाये कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत देय सूचना दे दी गयी है और जो सूचना देय नहीं है उसके संबंध में स्पष्ट कारण उल्लिखित किया गया है, तब तक प्रथम अपील का निस्तारण नहीं किया जाएगा।

10. प्रश्नगत प्रकरण में यह भी प्रकाश में आया है कि उपस्थित लोक सूचना अधिकारी राजपत्रित अधिकारी नहीं है। जबकि प्रश्नगत प्रकरण में नामित लोक सूचना अधिकारी, जिलाधिकारी के अन्तर्गत विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी कार्यालय से संबंधित है। उत्तराखण्ड शासन एवं आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि विभाग में राजपत्रित अधिकारी ही लोक सूचना अधिकारी नामित होने चाहिए किन्तु उसके बाद भी व्यवस्था सही नहीं बनाई गयी है। **अतः जिलाधिकारी, टिहरी को निर्देशित किया जाता**

AG

है कि उत्तराखण्ड शासन एवं आयोग के निर्देश के क्रम में राजपत्रित को ही लोक सूचना अधिकारी नामित करना सुनिश्चित करें।

11. लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति के तीन दिवस में अपीलार्थी को प्रेषित सूचनाएं प्रमाणित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रस्तुत अपील में अन्य कोई बिन्दु विचार के लिए शेष नहीं है। प्रस्तुत द्वितीय अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित करते हुए निक्षेपित की जाती है।

आदेश की एक प्रति उभय पक्ष को प्रेषित की जाए।

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(योगेश भट्ट)
राज्य सूचना आयुक्त

दिनांक 06.03.2024

AG